



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 21.11.2023

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 277/23 धारा- 392/411 भादवि से संबंधित 03 अभियुक्तगण मय बरामद सुदा माल 02 मोबाइल मुकदमाती व 03 मोबाइल जामा तलाशी मय मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर रंग काला नं0 UP76 AM 4610 के साथ किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 277/23 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात से संबंधित 03 अभियुक्तगण को दिनांक 21.11.2023 को 02 मोबाइल मुकदमाती व 03 मोबाइल जामातलाशी व लूट में प्रयोग की गयी मो0सा0 स्पेलेण्डर रंग काला नं0 UP76 AM 4610 के साथ गिरफ्तार किया गया ।



थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा दिनांक- 21.11.2023 को मु0अ0सं0 277/23 धारा 392 भादवि में वांछित 01.आकाश कुमार उर्फ राजकुमार उर्फ कल्लू कठेरिया पुत्र गंगासरन सिंह निवासी दुईया थाना मऊरदवाजा, 02. शिवराज कुमार उर्फ अन्टू पुत्र नन्हू सिंह निवासी बंगसपुरा कोहना को0 फर्रुखाबाद, 03.अरुण कुमार पुत्र नन्हू सिंह निवासी बंगसपुरा कोहना कोतवाली फर्रुखाबाद को मय 02 अदद मोबाइल मुकदमाती व 03 अदद मोबाइल जामातलाशी व लूट में प्रयोग की गयी मो0सा0 स्पेलेण्डर रंग काला नं0 UP76 AM 4610 के साथ क्रिश्चियन फील्ड के पास गेट से गिरफ्तार किया गया। व मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 आईपीसी की बढौतरी की गयी। अभियुक्तगण से बरामद एक अदद मोबाइल Samsung रंग नीला दिनांक 20.6.2023 को पवन कोल्ड स्टोरेज फतेहगढ़ के सामने से एक व्यक्ति से लूटा गया था, जिस संबंध में कोतवाली फतेहगढ़ में मु0अ0सं0 332/23 धारा 392 आईपीसी दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आकाश कुमार उर्फ राजकुमार उर्फ कल्लू कठेरिया पुत्र गंगासरन सिंह निवासी दुईया थाना मऊरदवाजा।
2. शिवराज कुमार उर्फ अन्टू पुत्र नन्हू सिंह निवासी बंगसपुरा कोहना कोतवाली फर्रुखाबाद।
3. अरुण कुमार पुत्र नन्हू सिंह निवासी बंगसपुरा कोहना कोतवाली फर्रुखाबाद।

### बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद मोबाइल फोन one plus 10R आसमानी रंग
2. एक अदद मोबाइल फोन Samsung रंग नीला
1. एक अदद मोबाइल vivo रंग काला
2. एक अदद मोबाइल Cellegor9 कीपैड रंग नैवी ब्लू
3. अदद मोबाइल फोन infinix smart रंग हरा नीला
4. 01 मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर रंग काला नं0 UP76 AM 4610

### पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान तीनो अभियुक्तगणों ने एकरॉय में बताया कि जो oneplus 10R बरामद हुआ वह तीनों लोगों ने मिलकर दिनांक 17.11.2023 को रात्रि करीब 10 बजे लोहिया अस्पताल गेट के सामने एक महिला से बात करते समय छीना था तथा Samsung मोबाइल को आकाश व शिवराज ने मिलकर जून के महीने में पवन कोल्ड स्टोरेज फतेहगढ़ के सामने से एक व्यक्ति के हाथ से छीना था। शेष 03 बरामद फोन के

बारे अपना होना बताया तथा यह भी बताया कि जो यह मोटरसाईकिल UP76 AM 4610 है वह शिवराज उर्फ अन्टू की है इसी मोटरसाईकिल से हम लोग घूम-घूमकर लूट करते हैं।

**अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ राजकुमार उर्फ कल्लू कठेरिया का आपराधिक इतिहास :-**

- 1- मु0अ0सं0 303/2023 धारा 380/411/457 आईपीसी कोतवाली फर्रुखाबाद
- 2- मु0अ0सं0 87/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा
- 3- मु0अ0सं0 332/23 धारा 392 आईपीसी थाना कोतवाली फतेहगढ़
- 4- मु0अ0सं0 277/23 धारा 392/411 आईपीसी थाना कादरीगेट

**अभियुक्त शिवराज कुमार उर्फ अन्टू का आपराधिक इतिहास :-**

- 1- मु0अ0सं0 155/22 धारा 294 आईपीसी थाना मऊदरवाजा
- 2- मु0अ0सं0 332/23 धारा 392 आईपीसी थाना कोतवाली फतेहगढ़
- 3- मु0अ0सं0 277/23 धारा 392/411 आईपीसी थाना कादरीगेट

**अभियुक्त अरूण कुमार का आपराधिक इतिहास :-**

- 1- मु0अ0सं0 310/2022 धारा 380/411/457 आईपीसी थाना फर्रुखाबाद
2. मु0अ0सं0 277/23 धारा 392/411 आईपीसी थाना कादरीगेट

**गिरफ्तारी/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कादरीगेट
2. का0 योगेश कुमार
3. का0 अनिल बालियान
4. का0 संजीव कुमार थाना
5. का0 गौरव कुमार थाना

**मीडिया सेल फतेहगढ़**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. नन्हे पुत्र सत्यपाल, 2. पप्पू पुत्र सत्यपाल, 3. मिन्दू पुत्र सत्यपाल, 4. रहीश पुत्र सत्यपाल, 5. सत्यपाल पुत्र जगमोहन, 6. मिश्रपाल पुत्र जगमोहन, 7. भोलू पुत्र मिश्रपाल, 8. रिकू पुत्र पप्पू समस्त निवासीगण लीलापुर थाना अमृतपुर मु०अ०सं०-181/2015 वाद सं० - 112/2016 धारा 147/148/149/323/504/304/325 भादवि थाना अमृतपुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहिरर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.11.2023 को मा० न्यायालय ए०डी०जे०-प्रथम द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 07 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री तेजसिंह



कोर्ट मोहिरर उ०नि० कैलाश सिंह



कोर्ट मोहिरर हे०का० कुन्दन



पैरोकार का० श्रीकृष्ण सिंह



